



तीन तलाक एक विवेचन : महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता कदम

Mrs. Priyanka Bhatt, Research Scholar, Mewar University, Chittorgarh, Rajasthan

परिचय

22 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सायरा बानो के केस में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनका जायज हक प्रदान करने के लिए समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को संवैधानिक करार देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त सन्देश दिया है।

ISSN 2454-308X



विशेषकर भारतीय मुस्लिम समाज में तीन तलाक का दण्ड भोगने वाली महिलाओं की दुर्दशा और उनके दर्द का अनुमान लगा पाना आसान नहीं है। विष्व के अनेक इस्लामी देश जिसमें सऊदी अरब, मलेशिया अफगानिस्तान अल्बेरिया अल्गेरिया बांग्लादेश ईरान ईराक कुवेत पाकिस्तान तुर्की मिश्र आदि देशों में तीन तलाक बहुत पहले से ही अवैध करार दिया जा चुका है। और इन देशों की महिलाएँ इस कुदृष्टतम प्रथा से मुक्ति पा चुकी हैं। जबकि भारत जैसे धर्म –निरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक देश की मुस्लिम महिलाओं को लम्बे समय तक इस लाचारी व प्रताड़ना से जुझना पड़ा इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में यह विवाह विच्छेद के विषय में जहां संविधान में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने का अधिकार प्रदत्त है। वही आजादी के सत्तर वर्षों बाद भी मुक्त होने को अभिषप्त है। एक मुस्लिम महिला को इस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी कुछ मोलवियों व धर्म गुरु इस फैसले से असहमत हैं। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो हिन्दू समाज में भी सती प्रथा बाल विवाह जैसी कुप्रथा थी जिसे राजाराम मोहनराय ने समाप्त करने की पहल की और सरकार को भी कानून बनाना पड़ा। पाकिस्तान ने 1961 में व बांग्लादेश में अपने उदय के बाद तीन तलाक को तलाक बोल दिया। इस प्रथा की खातमे की पहल करने वाला मिश्र पहला देश था। तुर्की, ईरान, अल्जिरिया, मलेशिया, ट्यूनिशिया सहित 22 देशों में इस पर मूमनियत लागू हैं। भारत में देर से ही सही पर सटीक फैसला हुआ है और यह कहा जा सकता है कि शायरा, अतिया वतिया सहित मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का कारवां रूकने वाला नहीं है।

इस दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है। जो भविष्य में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

तीन तलाक एव शरीयत कानून

दरअसल खुद इस्लाम के पाक व इंसाफी नजरिये में आदमी औरत बराबर है। और सब मामलो में शरीयत कानून की मान्यता है तो फिर एक झटके में तीन तलाक बोलकर उसका मखौल कैसे उड़ाया जा सकता है। इसी कुप्रथा के अंतर्गत एक और कुप्रथा का जिक्र आता है जिसका नाम है हलाला जिसमें तलाक के पश्चात् मुस्लिम पुरुष उसी महिला को यदि दुबारा पाने की चाहत रखता है तो शरीयत के कानून की दुहाई देकर उसे दूसरे मर्द के साथ निकाह के लिए मजबूर किया जाता है। जो ओर भी अत्यधिक गम्भीर प्रश्न है जो सरासर भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल- अधिकारों का उल्लंघन है जब निकाह के समय में शौहर व बीवी के बीच रजामन्दी की जरूरत होती है तो फिर तलाक के वक्त क्यों नहीं। शरीयत कानून के तहत एक मुस्लिम पुरुष को चार विवाह की इजाजत देता है वही तीन तलाक हलाला इत्यादि मान्यताओं को सर्म्पण देता है। तलाक और हलाला की प्रथा मुस्लिम समाज की औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है।

मुस्लिम देश में तीन तलाक के प्रावधान

तीन तलाक एक ऐसी प्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द बोलकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से भेजकर अपनी पत्नी से विवाह-विच्छेद कर लेता है इस्लाम में पहला तलाक अल-सुन्नाम, जिसे पैगम्बर मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक तथा दूसरा तलाक अलबिद्दत से ईजाद किया गया है कुरान में सीधे तौर पर तीन तलाक का कोई जिक्र या पैगम्बर मोहम्मद के कथन का कोई जिक्र नहीं होने से यह कहा जा सकता है कि कुरान में सिर्फ एक बार तलाक बोलने से ही तलाक होने का जिक्र है जिसके तहत विवाह को रद्द किया जा सकता है।



इस प्रथा में यह भी उल्लेखनीय है कि लिखकर या बोलकर तलाक देते समय ना तो बीवी का वहाँ उपस्थित होना जरूरी नहीं है और ना ही कोई वजह बताने की भी आवश्यकता है। ऐसे तलाक से पुरुषों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं होता है। कुरान के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तलाक को न करने लायक कृत्य बताते हुए इसकी प्रक्रिया को काफी कठिन बनाया गया है। जिसमें रिश्ते को बचाने के लिए आखरी दम तक कोशिश पति पत्नी के बीच संवाद दोनों के परिजनों के बीच रिश्ते को बचाने के लिए बातचीत और इस प्रक्रिया को तीन महीने के लम्बे समय में बांधना शामिल है लेकिन आज के दौर में पुरुषों ने कुरान में वर्णित प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधा तरीका अपनाकर तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके वह इस रिश्ते को खत्म करने लगे हैं। मुस्लिम समाज के रहनुमा मोलवियों ने भी कभी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की न इसे गलत बताया परिणामस्वरूप तीन तलाक व बहुविवाह जैसी कुप्रथाएं मुस्लिम बहनों के लिए एक त्रासदी बन चुकी थी।

भारत में तीन तलाक एवं महिला शोषण

तीन तलाक एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तीन बार तलाक शब्द बोलकर, लिखकर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजकर अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है जबकि महिलाओं पर बच्चों की जिम्मेदारी व गुजारा करने के लिए आर्थिक साधन जुटाना, आवास सुविधा सहित कई विपदाएं उस महिला के सामने आ जाती हैं यही कारण है कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं डर के मारे बिना बगावत किए अपनी जिन्दगी गुजार देती हैं तथा भारतीय संविधान के तहत अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।

शाहबानो बनाम शायरा बानो

तीन तलाक की शिकार इंदोर की शाहबानो 1985 में गुजारा भत्ता की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो तत्कालिन सरकार इस फैसले को खारिज करने पर तुल गई और एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। इस फैसले के निष्प्रभावी होने का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम समाज ने सामाजिक सुधारों और तलाकशुदा महिलाओं की बेहतरी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। 31 वर्ष पहले शाहबानो के साथ इस नाइंसाफी में सत्तापक्ष समेत कई राजनीति दल शामिल थे। उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो को 2015 में पति ने जबरन मायके भेजा और तीन तलाक सुना दिया। 2016 में वह न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंची और तीन तलाक के साथ साथ बहुविवाह व निकाह एहलाला की भी चुनौती दी हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर ही फैसला सुनाया है।

1985-86 में जो शाहबानों को हासिल नहीं हुआ वह 2017 में शायरा बानो सहित तीन तलाक की शिकार अनेक महिलाओं को हासिल होने जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का केवल तलाक का मसला ही नहीं बल्कि इज्जत से जिन्दगी बसर करने लायक समानता और आत्मनिर्भरता का मामला भी है। अदालत ने सिर्फ तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाई है। शेष मुद्दों पर कानूनी प्रक्रियाएं अपना काम करेगी तभी घर के भीतर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति मजबूत हो पायेगी।

शायरा बानो मुख्य याचिका कर्ता ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शयह मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमें मुस्लिम सम्प्रदाय में महिलाओं की स्थिति को समझना चाहिए इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके कानून बनाया जाना चाहिए। तीन तलाक खत्म होते ही हलाला भी खत्म हो जाएगा शरीयत में तीन तलाक है लेकिन एक साथ नहीं। हर तलाक के बाद कुछ समय पति और पत्नी दोनों को मिलता है। जिससे दोनों सुधार लाकर परिवार चला सके। – शाइस्ता अम्बर

तीन तलाक संवैधानिक आधार

कानून के इस दौर में सायरा बानों नामक एक मुस्लिम महिला ने एक साहसिक कदम उठाते हुए 23 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिये जाने वाले तलाक ए बिददत यानि तिहरे तलाक, हलाला और बहु विवाह को गैर कानूनी व असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगायी। तलाक का यह जरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कानूनी कहा जाता है जिसे माननीय हको का उल्लंघन मानने की बजाय अधिकार प्रदत्त माना जाता है। इस संदर्भ में तस्लीमा नसरीन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कट्टरपंथी मुस्लिमों का संगठन है।



जो तीन तलाक का समर्थन करता है उस संगठन को खत्म किया जाना चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कभी इस प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है इस पर शायद कभी गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। यह प्रश्न आमजन के मन में उठना स्वाभाविक है कि तलाक की यह कुप्रथा आखिर किसलिए है? जिसका परिणाम है कि तलाक के मामले को बहुत ज्यादा तर्जी मिलने के समाचार निर्मित रूप से समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सामने आते रहते हैं ऐसे प्रकरणों में स्पीड पोस्ट, व्हाट्स अप इत्यादि जरियों से अजीबो –गरीब तर्क देकर तलाक देने के प्रकरण भी सामने आये हैं जिसके कारण यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से समाज के समाने खड़ा होता है कि आखिर तलाक देने के लिए अलग-अलग रास्ते अख्तियार करने की क्या जरूरत है। क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं रह सकता या तलाक को महज अपने शारिरिक आनन्द के लिए उपयोग किया जा रहा है। देश के विभिन्न मजहबी आन्दोलन करने की बात करने वाले इन महिलाओं को इनका असली हक दिलाने के नाम पर आखिर क्यों मौन हो जाते हैं।

भारत में सत्ता के कर्णधारों को भी मुस्लिम महिलाओं के दुख को समझने और उससे निजात दिलाने में कभी कोई दिल चस्पी नहीं रही ऐसा प्रतीत होता है कि आजाद भारत में इन कर्णधारों का उद्देश्य तो बस मुस्लिम समाज के वोट-बैंक तक ही सीमित रहा है यहीं कारण रहा है कि अपनी बेटियां बचाने के लिए खुद महिलाओं को आगे आना पड़ा और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट उनके दर्द को समझकर इस अमाननीय रिति को बन्द करने की बात कही।

1951 में मुम्बई हाईकोर्ट ने एक फैसले में दीवानी विषयों पर मुस्लिम समाज के व्यक्तिगत कानून को संवैधानिक दृष्टि से चुनौती नहीं दी जा सकती है। तब समाज के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अपराध कानूनों को भी उसी प्रकार मान्यता क्यों नहीं दी गयी क्योंकि संविधान के निर्देशित तत्वों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि दीवानी मामलों में एक ही तरह का कानून सभी नागरिकों के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को दुरस्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है अनुच्छेद 14,15, व 21 के तहत एक मुस्लिम महिला को अन्य धर्म की महिलाओं की तरह अपने परिवार में सुख व बराबरी से रहने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन धर्म के ठेकेदार अपने अहम की संतुष्टि और पुरुषवादी सोच के चलते उससे यह अधिकार छिन लेते हैं।

निष्कर्ष

देश के सबसे जटिल सामाजिक मुद्दों में से एक तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों की संविधान में तीन न्यायधीष जस्टिस कुरीयन जोसफ, जस्टिस नरीमन और जस्टिस यूय ललित ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। जिन दो न्यायधीष ने तीन तलाक को असंवैधानिक नहीं माना, उन्होंने भी इसे गलत माना, लेकिन इस मामले में संसद द्वारा कानून बनाने की राय रखी। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। यह प्रथा बिना कोई मौका दिए शादी को खत्म कर देती है। कोर्ट ने मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर लगे बैन का जिक्र किया और पूछा कि भारत इससे आजाद क्यों नहीं हो सकता?

तीन न्यायधीष के बहुमत इस फैसले का मतलब यह है कि कोर्ट की तरफ से इस व्यवस्था को खारिज किया गया है। 21वीं सदी में समान मानवीय अधिकारों की ओर अग्रसर होना सशक्तिकरण की प्रमुख आवश्यकता है।

तीन न्यायधीष के अनुसार— ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और साथ ही उन्हें इस मनमाने अपरिवर्तनीय तलाक के अधीन करता है। जस्टिस कुरियन जीसेफ, जस्टिस नरीमन, जस्टिस उदय यू ललित, न्यायधीषद्व

दो न्यायधीष के कथन से – ट्रिपल तलाक मुस्लिमों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है ये अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में है, असंवैधानिक नहीं मान सकते चीफ जस्टिस जे एस खेहर, जस्टिस एस अब्दुल नजीर अंत में— इस फैसले को किसी एक पक्ष जीत अथक हार के रूप में देखने की बजाय समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के रूप में जरूरत है यह धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है।



सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के महत्वपूर्ण बिन्दु :-

एक साथ तीन तलाक असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से सुनाया फैसला।

1 तीन तलाक पर 6 महिने की रोक।

2 मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा ये 1400 साल पुरानी प्रथा और मुस्लिम धर्म का अभिन्न हिस्सा कोर्ट नहीं कर सकता रद्द।

3 जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आर ए एफ नारिमन और जस्टिस यूयू ललित ने एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया और इसे खारिज कर दिया।

4 तीनो न्यायधीष ने 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया न्यायधीष ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है।

5 अगर 6 महिने के अंदर तीन तलाक पर कानून नहीं लाया जाता है तो तीन तलाक पर रोक जारी रहेगी।
6 जस्टिस नजीर और चीफ जस्टिस खेहर ने नहीं माना था असंवैधानिक। तीन तलाक धार्मिक प्रैक्टिस है। इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। दोनों ने कहा तीन तलाक पर 6 महिने का स्टै लगाया जाना चाहिए।

इस बीच में सरकार कानून बना ले और 6 महिने में कानून नहीं बनता है तो स्टे जारी रहेगा हालांकि दोनों न्यायाधीश ने इसे पाप माना है।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऑल इण्डिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दलील दी कि तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है और कुरान में तीन तलाक का कहीं भी जिक्र नहीं है और भारत सरकार ने न्याय पालिका के समक्ष कहा कि पर्सनल लॉ धर्म का हिस्सा नहीं है और न्याय पालिका को संविधान के दायरे में विचार करना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाओं को मौलिक अधिकार प्रदान किये जा सकें।

वर्ष 1985 के शाहबानों प्रकरण के बाद से आज तक मुस्लिम महिलाओं को उनके जीवन अधिकार के सन्दर्भ में सुना ही नहीं गया व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी किसी भी सुधार को हर प्रयास को रोकने की कोशिश की जबकि स्पष्ट रूप से तीन तलाक की व्यवस्था कुरान की हिदायतों के विपरीत और गैर इस्लामिक थी। जिससे यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के बहस पर कट्टरपंथी पुरुषों ने कब्जा जमा रखा है। ऐसे समय में पांच अलग-अलग धर्मों से संबंध रखने वाले जजों ने जिसमें कोई भी महिला जज नहीं थी ने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मसले पर अपना फैसला सुनाया जिससे मुस्लिम महिलाएं राहत की सांस लेने के साथ –साथ बराबरी का हक मिलने से भयमुक्त जीवन जी सकेंगी। महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में यह सन्देश स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति मुस्लिम पुरुषद्ध तीन तलाक शब्द बोलकर मुस्लिम महिला की पारिवारिक जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं कर सकेगा क्योंकि भारतीय संविधान एवं न्यायपालिका उनकी रक्षक है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया उससे यही लगता है कि अब एक इंसाफी कानून बनाने में कोई अड़चने नहीं आएंगी। जिस शोषण से खुद धर्म को घृष्णा हो, दुनिया के 22 से अधिक मुस्लिम देश जिस प्रथा को न मानते हो उसको आखिर भारत जैसे देश में चलन में क्यों रहना चाहिए? जब सर्वोच्च अदालत ने मान लिया है कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं की समानता के अधिकार और इस्लाम के खिलाफ है तो तीन तलाक के पक्षधरो को इस फैसले को सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। हर प्रथा या व्यवस्था वक्त के साथ जायज परिवर्तन की शर्त पर जिन्दा रहती है। और आज यही हो रहा है।

मुस्लिम महिलाओं यह केवल तलाक का मसला नहीं बल्कि इज्जत से जिन्दगी बसर करने लायक समानता और आत्मनिर्भरता का मामला भी है। अदालत ने सिर्फ तीन तलाक की कुप्रथा पर रोक लगाई है। शेष मुद्दों पर कानूनी प्रक्रियाएं अपना काम करेगी तभी घर के भीतर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति मजबूत हो पायेगी।



लम्बी बहस और तर्क वितर्क के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है जिसका सरार से लेकर आमजन ने स्वागत किया है। महिला उत्थान के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं के दिशा में नये शिरे से पहल करने की जरूरत है ताकि बिना गतिरोध के समाधान निकल सके। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों की सुनिश्चित करने के साथ ही बेहतर भारत समान भारत के विषय में बड़ा कदम है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुस्लिम समाज में सुधार आन्दोलन शुरू करने व मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। बेहतर देश व समाज के निर्माण के लिए मुस्लिम ही नहीं सभी धर्मों के लिए हर तरह की कुप्रथाओं से मुक्ति आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

- मुस्लिम विधी . अकिल अहमद टीण्सीण जैन ए मुकेश अग्रवाल एपारस दीवान
- मुस्लिम लॉ . मुल्ला
- भारत का संविधान .जय नारायण पाण्डेय
- राजस्थान पत्रिका . जय प्रकाश
- सुप्रीम कोर्ट **मइपजम** तसलीमा नसरीन